

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

दिनांक लावणी कौर बनाम लावविन्द कौर आदि
 पत्र संख्या न 6 / 2022 अन्तर्गत धारा 312 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
30 ⁰¹ / ₂₃	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। अपापी स. 1 की गोर से अधिवक्ता श्री पुलविन्द सिंह ने P.T. दी। वकालतनामा पेश करने ह। समग्र बाह्य। पताब प्राथना पत्र अ. वि. 10/22 CPC हेतु समग्र बाह्य। ग. 1 की अवधि आगामी पेशी तक बगैर जाती है। पत्रावली वास्तु जवाब प्राथना पत्र दिनांक 27/02/23 को पेश हो।</p>	
27 ² / ₂₃	<p>बार सय का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/3/23 को पेश हो Kymed</p>	
24 ³ / ₂₃	<p>आज भठ पत्रावली प्राथना/प्राथना के द्वारा मूलवाद में प्राथना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राथना के द्वारा मूलवाद नोट प्रसन्न कर लिया गया है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राथना का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विवेचना दिनांक 28/11/22 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली गिरीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p><i>Lampent Hour</i> 48 पावत J.S.</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर